

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-04-2021

जनपद सिद्धार्थनगर में कोविड महामारी अधिनियम के उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया ।

इस क्रम में आज दिनांक 27-04-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3 ,4 व ,5 का उल्लंघन करने वाले 22 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल रु0 6100/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई ।

सर्वाधिक कार्यवाही डेबरुआ थाना द्वारा की गई ।

कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी रहेगी ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-04-2021

जनपद सिद्धार्थनगर में कोविड महामारी अधिनियम के उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया ।

इस क्रम में आज दिनांक 27-04-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3 ,4 व ,5 का उल्लंघन करने वाले 22 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल रु0 6100/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई ।

सर्वाधिक कार्यवाही डेबरुआ थाना द्वारा की गई ।

कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी रहेगी ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-04-2021

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 व्यक्ति के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही”

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल निर्देशन में मुझ प्रभारी निरीक्षक थाना चिल्हिया सि0नगर द्वारा आज दिनांक 27.04.2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 02 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-04-2021

जनपद सिद्धार्थनगर में दिनांक 19-04-2021 को वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साकिर उर्फ मेराज उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम खुटहा बाजार थाना पनियरा जनपद महाराजगंज को चेतिया बाजार थाना क्षेत्र मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर से बरामद किया गया। उपरोक्त व्यक्ति द्वारा पूछ-ताछ में बताया गया कि मैं अपने घर से लगभग 15 वर्षों से भटक गया हूँ। दिनांक 20.04.2021 को साकिर का मेडिकल कराया गया, जिसमें कोविड-19 संक्रमित मिलने पर संयुक्त जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में भर्ती कराया गया। दिनांक 27.04.2021 को जिला अस्पताल से डिसचार्ज होने के उपरांत उसके परिजन को जनपद महाराजगंज से बुलाकर उनको सुपुर्द किया गया। उपरोक्त बरामदगी में एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी निरीक्षक श्री बाबूलाल, मुख्य आरक्षी देवेन्द्र यादव, आरक्षी गंगेश सिंह शामिल रहे।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-04-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 27-04-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 74 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 10 वाहनों का चालान कर ₹ 7,500/- शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-04-2021

थाना कोतवाली कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर- 01 अभियुक्त को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष कपिलवस्तु श्री महेश सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 27.04.2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।